


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / 186

रीवा, दिनांक : 5-4-2022


अधिसूचना

प्राचार्य, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी के पत्र क्रमांक 118/स्था./2021-22 दिनांक 22-1-2022 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक-4 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी की बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।


कुलसचिव 04/04/22
अवध

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय में उपर्युक्तानुसार संचालित कक्षा/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)
अवध

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 185
प्रति,

रीवा दिनांक : 7-4-2022

अध्यक्ष/प्राचार्य
एकलव्य कालेज
सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(30) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, बायोटेक्नालाजी, (अतिरिक्त विषय) भौतिक, जुलाजी, गणित, माइक्रोबायलाजी, कम्प्यूटर साइन्स-200सीट।
2	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (अतिरिक्त विषय) राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, होमसाइन्स-200सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय में संचालित पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में वृद्धि करें।
3. लैब के उपकरणों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

25/03/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 195
प्रति,

रीवा दिनांक : 15-4-2022

अध्यक्ष/प्राचार्य
जनता विधि महाविद्यालय
गोहपारू, जिला राहडोल (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(04) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एलएल.बी. भाग 1,2,3 - समस्त अनिवार्य विषय-80सीट।

नोट -

1. बी.सी.आई. की अनुमति सत्र 2021-22 तक की प्रस्तुत करें।
2. बी.सी.आई. नामर्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 18/04/22



प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)



अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 196
प्रति,

रीवा दिनांक : 19-4-2022

अध्यक्ष/प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(32) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र -30-30सीट।
2	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - प्राणिशास्त्र, भौतिकशास्त्र-30-30सीट।
	स्ववित्तीय योजनान्तर्गत -
1	बी.ए. भाग एक - इतिहास
2	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न रसायनशास्त्र।

आदेशानुसार

कुलसचिव
अ.प्र.

19/04/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/201

रीवा दिनांक : 20-4-2022

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय राजनारायण स्मृति महाविद्यालय
बैदण, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(07) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी।
स्ववित्तीय योजनान्तर्गत	
1	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - अनिवार्य विषय।
2	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - भौतिकी, गणित, वनस्पति, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र।
3	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - अंग्रेजी।

नोट -

1. महाविद्यालय के निरीक्षण की सी.डी. प्रस्तुत करें।

उपर्युक्त शर्त की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव 19/04/22
अ.प्र.

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
अ.प्र.

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/202

रीवा दिनांक : 20-4-2022

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(08) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-प्रति समूह-120सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव

19/04/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/203

रीवा दिनांक : 26-4-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय
न्यूराम नगर, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(30) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल-60-60सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित-60-60सीट।
3	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
4	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न भूगोल-30सीट।
5	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-60सीट।

नोट -

1. प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था करें।
2. पुस्तकालय में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु पुस्तकों की संख्या बढ़ायें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / 204

रीवा दिनांक : 26-4-2022

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
दि कालेज आफ ला एण्ड लीगल एड
शहडोल (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(04) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा / विषय
1	विधि प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - निर्धारित विषय-320-320सीट।

नोट -

1. बार काउन्सिल आफ इंडिया से सत्र 2020-21-22 की मान्यता प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
2. परिनियम 28 कालेज कोड के अन्तर्गत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

26/04/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/205

रीवा दिनांक: 26-4-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
मायाराम महाविद्यालय
भेदौली मोरवा, जिला सिंगरीली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य-60-60-60सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, माइक्रोबायलाजी, कम्प्यूटर साइन्स-60-60-60सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त निर्धारित विषय तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं टेक्नोलॉजी-60-60-60सीट।
4	एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-80सीट दो यूनिट।
5	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60-60-60सीट।
6	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष - दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान (अतिरिक्त विषय)-60-60सीट।
7	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60-60-60सीट।
8	एम.एस.डब्ल्यू. प्रथम, द्वितीय वर्ष-60सीट।
9	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न रसायनशास्त्र-30सीट।
10	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-30सीट।
11	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-30-30सीट।
12	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम -100सीट।

नोट -

1. बी.सी.आई. के मान्यता संबंधी पत्र सत्र 2021-22 प्रस्तुत करें।
2. बी.सी.आई. नार्म्स तथा एन.सी.टी.ई. नार्म्स के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करें।
3. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
4. पुस्तकालय में पुस्तकों की समुचित संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

26/04/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंवाज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।